पी. राजेन्द्रन बनाम मद्रास राज्य
ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 1012

तथ्य

प्रथम वर्ष के एकीकृत एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियमन के संबंध में मद्रास सरकार द्वारा बनाए गये नियमों पर आपत्ति की गई कि इनसे अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन होता है। नियम 15 में, परिशिष्ट में उल्लिखित सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो के लिये सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी और परिशिष्ट में केवल जातियों का उल्लेख था।

विवादक

(1) क्या सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के बारे में निश्चय करने के लिये ''जाति'' को एकमात्र कसौटी माना जा सकता है?

(2) यह सिद्ध करने का दायित्व किसका है कि सूची में उल्लिखित जातियां सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई नहीं हैं?

उद्धरण

मुख्य न्यायमूर्ति वांचू

नियम 5 के संबंध में पहली आपत्ति इस आधार पर की गई है कि इसमें संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होता है। अनुच्छेद 15 के अनुसार केवल धर्म,जाति,लिंग, जन्म-स्थान या इनमें से किसी आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव करना वर्जित है। इसके साथ ही अनुच्छेद 15(4) में अन्य बातों के साथ- साथ राज्य को नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिये कोई विशेष व्यवस्था करने की अनुमति दी गई है। विवाद यह है कि सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए उन वर्गों की सूची, जिनके लिये नियम 5 के अनुसार आरक्षण किया गया है, कुछ जातियों की सूची के अलावा कुछ नहीं है। अतः केवल जाति के आधार पर कुछ जातियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद15(1) का उल्लंघन है जिसके अनुसार जिसमें केवल जाति के आधार पर भेदभाव करना वर्जित है। अब यदि विवादास्पद आरक्षण केवल जाति के आधार पर ही किया जाए और जाति के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ेपन को ध्यान में न रखा जाए, तो इस अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन होगा। किन्तु इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जाति भी नागरिकों का हीं वर्ग है और यदि समूची जाति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है तो ऐसी

जाति के लिये इस आधार पर आरक्षण किया जा सकता है कि वह अनुच्छेद 15(4) के आशय के अंतर्गत नागरिकों का सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग है। इस संबंध में एम.आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य,(1966) पूरक 1 एस.सी.आर. 439 मु.पृ. 459- 460 (ए.आई.आर. 1963 एस.सी.649 पृ.659) के मामले में इस न्यायालय के इन आशय की टिप्पणियों को देखा जा सकता है कि नागरिकों के किसी वर्ग के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा होने के बारे में निश्चय करते समय उस वर्ग की जाति पर विचार करना असंगत नहीं है। आगे यह कहा गया कि हालांकि नागरिकों के किसी वर्ग की जाति को संबंद्ध किया जा सकता है, किन्तु उसके महत्व को बढ़ा-चढ़ा कर व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए और यदि नागरिकों के पिछड़े वर्ग का वर्गीकरण नागरिकों की केवल जाति के आधार पर किया गया हो तो उस पर आपत्ति की जानी चाहिए। यह सही है कि वर्तमान मामलों में, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की सूची में जाति के अनुसार उल्लेख किया गया है। किन्तु इसका अनिवार्यतः यह अर्थ नहीं है कि जाति ही एक मात्र आधार था और इन जातियों के व्यक्ति नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के भी नहीं है। इसके उत्तर में, मद्रास राज्य ने वर्ष 1906 से लेकर अब तक का इतिवृत्त दिया है कि यह सूची कैसे तैयार की गई थी और इसे कैसे अद्यतन रखा गया है और इसमें क्या-क्या आवश्यक संशोधन किये गये हैं। यह भी बताया गया है कि सूची में शामिल किये जाने का मुख्य मानदण्ड, इन जातियों द्वारा किये जाने वाले व्यवसायों के आधार पर जातियों का सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा होना था। चूंकि समूची जाति के सदस्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े पाए गये थे, इसलिये उन्हें इस सूची में रखा गया। संविधान में लागू होने के बाद, अनुच्छेद 15(4) में उल्लिखित उपबंधों के आधार पर मामले की अंतिम रूप से जांच की गई। चूंकि इन समूची जातियों के सदस्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े पाए गये और सूची 1906 की हीं स्थिति में रही, इसलिये उसे अनुच्छेद 15(4) के प्रयोजन के लिये अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया। संक्षेप में. मद्रास राज्य का मामला यह है कि सूची में शामिल की गई जातियां उन व्यक्तियों के वर्ग का केवल संक्षिप्त संकेत हैं और व्यक्तियों के इन वर्गों को अनुच्छेद 15(4) के प्रयोजन के लिये सूची में शामिल किया गया था, क्योंकि ये सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए पाए गये थे।

8. यह स्थिति वह है जो मद्रास राज्य की ओर से प्रस्तुत किये गये शपथ-पत्र में स्पष्ट की गई है। दूसरी ओर, याचिकाओं में केवल यह बात कही गई है कि चूंकि सूची केवल जाति पर आधारित है इसलिये इससे अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन हुआ है। किन्तु मद्रास राज्य द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के आधार पर, जिसका प्रत्युत्तर द्वारा खंडन नहीं किया गया है, यह अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए कि हालांकि सूची में कुछ जातियां दिखाई गई हैं, किन्तु उन जातियों के सदस्य वास्तव में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के वर्गों के हैं। याचिका दाताओं/ अपीलकर्त्ताओं की

ओर से यह बताने का प्रयास नहीं किया गया कि इस सूची में उल्लिखित कोई जाति सामाजिक या शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई नहीं है। शपथ-पत्र में अपने मामलों में न कोई ऐसा प्रमाण प्रस्तुत किया गया और न ही प्रत्युत्तर शपथ-पत्र प्रस्तुत करते हुए, मद्रास राज्य की ओर से प्रस्तुत किए गए मामले का खंडन करने का कोई प्रयास किया गया जिसमें सूची में शामिल की गई जातियों में से एक भी जाति के बारे में यह बताया गया हो कि अमुक जाति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई नहीं है। अभिवचन की इस स्थिति में, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हालांकि सूची जातिवार तैयार की गई है, फिर भी उसमें शामिल की गई समूची जातियां सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं, इसलिये इस सूची से अनुच्छेद 15 का उल्लघंन नहीं हुआ है। अतः नियम 5 के संबंध में की गई आपत्ति समाप्त हो जाती है।

निर्णय

(1) जाति भी नागरिकों का एक वर्ग है और यदि समूची जाति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है, तो ऐसी जाति के लिये इस आधार पर आरक्षण किया जा सकता है कि यह अनुच्छेद 15(4)के आशय के अंतर्गत नागरिकों का सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ वर्ग है।

(2) न्यायालय ने यह निर्णय किया कि नियम 5 की वैधता पर आपत्ति करने वाले याचिका-दाताओं को यह बताना चाहिये था कि सूची में उल्लिखित जातियां सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई नहीं हैं।